

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/

दिनांक :-

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 16.08.2012 का
कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 16.08.2012 को प्रातः 10.30 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो/अधिकारियो ने भाग लिया :-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 2. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 3. श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा. | सदस्य |
| 5. श्री नारायण राम इन्दालिया, तहसीलदार (दक्षिण), जो.वि.प्रा. | सदस्य |
| 6. श्री गिरधारीलाल, तहसीलदार (पूर्व), जो.वि.प्रा. | सदस्य |
| 7. श्री एस.एल. सेठी, निदेशक (आयोजना), जो. वि. प्रा. | सदस्य सचिव |

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणो के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 680 मीन रकबा 1.09 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री राजेन्द्र, श्री महिपाल

प्रकरण संख्या 28/10

राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 680 मीन रकबा 1.09 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया हैं। उक्त भूमि झंवर-बोरानाडा सड़क के दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व

21

वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त भूमि सड़क के सहारे-सहारे एक लम्बी पट्टिका के रूप में है, जिस पर सैट बैंक का प्रावधान करने पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल बहुत कम मिल पायेगा। साथ ही राजस्थान भवन विनियम (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरो एवं भिवाड़ी के लिए) के प्रावधानों में रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में औद्योगिक भवन हेतु निर्माण के मानदण्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर अलग से निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक भवन हेतु निर्माण के मानदण्ड पृथक से निर्धारित नहीं किये गये हैं।

अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भवन के निर्माण हेतु रीको के मानदण्ड लागू किए जाने बाबत राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जावे। उक्त मानदण्ड निर्धारित होने के पश्चात् प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावे।

2. राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 681 मीन रकबा 1.08 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।


आवेदक :- श्रीमती मांगीदेवी।

प्रकरण संख्या 29/10

राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 681 मीन रकबा 1.08 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि झंवर-बोरानाडा सड़क के दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त भूमि सड़क के सहारे-सहारे एक लम्बी पट्टिका के रूप में है, जिस पर सैट बैंक का प्रावधान करने पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल बहुत कम मिल पायेगा। साथ ही राजस्थान भवन विनियम (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरो एवं भिवाड़ी के लिए) के प्रावधानों में रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में औद्योगिक भवन हेतु निर्माण के मानदण्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर



अलग से निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक भवन हेतु निर्माण के मानदण्ड पृथक से निर्धारित नहीं किये गये हैं।

अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भवन के निर्माण हेतु रीको के मानदण्ड लागू किए जाने बाबत राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जावे। उक्त मानदण्ड निर्धारित होने के पश्चात् प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावे।

3. राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 682/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती मांगीदेवी
प्रकरण संख्या 21/10

राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 682/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया हैं। उक्त भूमि झंवर-बोरानाडा सड़क के दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त भूमि सड़क के सहारे-सहारे एक लम्बी पट्टिका के रूप में हैं, जिस पर सैट बैंक का प्रावधान करने पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल बहुत कम मिल पायेगा। साथ ही राजस्थान भवन विनियम (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरो एवं भिवाड़ी के लिए) के प्रावधानों में रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में औद्योगिक भवन हेतु निर्माण के मानदण्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर अलग से निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक भवन हेतु निर्माण के मानदण्ड पृथक से निर्धारित नहीं किये गये हैं।

अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भवन के निर्माण हेतु रीको के मानदण्ड लागू किए जाने बाबत राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जावे। उक्त मानदण्ड निर्धारित होने के पश्चात् प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावे।

21

4. राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा नम्बर 32/5 की रकबा 9 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री चेलाराम, श्री पुराराम
प्रकरण संख्या 319/10

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 18.07.2012 में विचारार्थ रखा गया था। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर जोधपुर-ओसिया मार्ग का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने तथा सड़क का मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनो ओर 100'-100' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु छोड़ी जाने एवं अन्य शर्तों के साथ ले-आऊट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया था।

समिति के निर्णय उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि जोधपुर-ओसिया पर स्थित नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार के सम्बन्ध में प्रदत्त सूचना की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर प्रकरण पर पुर्नविचार करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के क्रम में प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर बिखरे रूप में मकानात् निर्मित है एवं आवेदित भूमि में से होकर एक विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजरती है।

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूकिं प्रश्नगत भूमि जोधपुर-ओसिया सड़क पर स्थित नहीं होकर मथानिया से तिंवरी एमडीआर 732 सड़क पर स्थित हैं, अतः प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में समिति की बैठक, दिनांक 18.07.2012 में लिये गये निर्णय में संशोधन करते हुए मथानिया से तिंवरी जाने वाली सड़क की चौड़ाई 160' करने हेतु सड़क के मध्य से 80' भूमि छोड़ते हुए संशोधित ले-आऊट प्लान जारी किया जावे। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' भूमि एवं पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते का मार्गाधिकार 30' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। प्रार्थी की भूमि के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान है, जिसके दोनो तरफ राजस्थान भवन विनियम-2010 (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिए) या इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी, जो भी अधिक हो के अनुसार खड़ी दूरी एवं क्षेतिज दूरी छोड़ी जानी होगी। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सहायक नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें विद्युत हाईटेंशन लाईन के दोनो तरफ नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़ते हुए ही निर्माण अनुज्ञेय होगा एवं अनाधिकृत निर्माण को पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी को हटाना होगा। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। इसके साथ-साथ विद्युत लाईन के सहारे-सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत

लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 426/1 की रकबा 5 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती टीमकी
प्रकरण संख्या 45/11

राजस्व ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 426/1 की रकबा 5 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा एकल फार्म हाऊस प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उप नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार मुख्य सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि छोड़ते हुए ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम मण्डोर II के खसरा नम्बर 90/2107 की रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री रामचन्द्र, श्री अशोक
प्रकरण संख्या :- 100/11

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.03.2012 में विचारार्थ रखा जाकर उक्त आराजियात की भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित किया गया था। प्रार्थी ने

92

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उक्त ले-आऊट प्लान में संशोधन चाहा गया है। आवेदित भूमि के संशोधित ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा किया गया है तथा सम्बन्धित अमीन द्वारा भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर उक्त आराजियात की भूमि के समिति द्वारा स्वीकृत ले-आऊट प्लान को निरस्त करते हुए प्रार्थी के प्रस्तावानुसार एवं उप नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनानुसार नवीन ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 41 की रकबा 11.01 बीघा भूमि का आवासीय ✓
प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती केलूदेवी
प्रकरण संख्या 1175/12

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 41 की रकबा 11.01 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पूर्वी भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर एक राजस्व रास्ता स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो का ले-आऊट प्लान पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक व सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि के पूर्वी भाग में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' भूमि छोड़ी जाकर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21

8. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 41/1 की रकबा 12.00 बीघा भूमि का आवासीय ✓
प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती भगवती देवी
प्रकरण संख्या 1176/12

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 41/1 की रकबा 12.00 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। आवेदित भूमि के पूर्वी भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर एक राजस्व रास्ता स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों का ले-आऊट प्लान पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक व सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि के पूर्वी भाग में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' भूमि छोड़ी जाकर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम भाग में प्रस्तावित 60' के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि छोड़ी जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

9. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 31 की रकबा 11.13 बीघा भूमि का आवासीय ✓
प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री लिच्छमणराम
प्रकरण संख्या 1177/12

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 31 की रकबा 11.13 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों का ले-आऊट प्लान पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनमें से प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक व सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

21

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि के पूर्वी भाग में समीपीय भूमि से एप्रोच हेतु प्राप्त होने वाले रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि छोड़ी जाते हुए प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिमी कोने में प्रस्तावित पार्क के मध्य से 30 फीट सड़क को समीपीय भूमि की सड़क से मिलान किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 182/3, 183/1 की रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा 5 [✓]
बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री भैवराराम
प्रकरण संख्या 375/10

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 182/3, 183/1 की रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। आवेदित भूमि के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर एक राजस्व रास्ता स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। आवेदित भूमि की पूर्व दिशा में स्थित समीपीय भूमियो का ले-आऊट प्लान पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक व सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि के के पश्चिमी भाग में स्थित रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' चौड़ी भूमि छोड़ी जाकर तथा पूर्व दिशा में स्थित समीपीय भूमि से लिंक होने वाले रास्ते के मार्गाधिकार हेतु 60' चौड़ी भूमि छोड़ते हुए प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21

11. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 183 की रकबा 6 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन। ✓

आवेदक :- श्री सांवरलाल

प्रकरण संख्या 24/10

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 183 की रकबा 6 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। आवेदित भूमि के उत्तरी भाग में एक रास्ता स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक व सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि के उत्तरी भाग में स्थित रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' भूमि छोड़ते हुए प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

12. राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा नम्बर 123, 123/5 की रकबा 30 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन। *

आवेदक :- श्री मांगीलाल, श्री बींजाराम

प्रकरण संख्या 1184/12

राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा नम्बर 123, 123/5 की रकबा 30 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प. 10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व

वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मथानिया सड़क से आवेदित भूमि के लिए पहुँच की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को आवेदित भूमि के लिये पहुँच मार्ग बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

13. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 66/2 की रकबा 3 बीघा भूमि का आवासीय ✓
प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती पारादेवी, श्रीमती राधादेवी, श्री ओमाराम
प्रकरण संख्या 1408/12

राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 66/2 की रकबा 3 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक 25.07.2012 में विचार विमर्श के दौरान उप सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के उत्तर व पूर्व दिशा में राजकीय भूमि अवस्थित है। सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान, खसरा मानचित्र से मेल नहीं खाता हैं तथा आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 66/2 की रकबा 12 बीघा भूमि में से 6 बीघा भूमि का ले-आऊट प्लान पूर्व में अनुमोदित करवाया गया हैं। अब आवेदक द्वारा इसी खसरे की शेष भूमि में से 3 बीघा भूमि के ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया हैं। इसके पश्चात् भी आवेदक के पास इस खसरे की 3 बीघा भूमि शेष बचती है। प्रार्थी उक्त शेष भूमि किस प्रयोजन में उपयोग में लेगा, यह स्पष्ट नहीं हैं। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का तरमीम खसरा मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही आवेदित स्थल की न्यूनतम 200 मीटर की परिधि के भीतर के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्थल का सर्वेक्षण नक्शा/कुल स्टेशन सर्वेक्षण भी अपेक्षित था।

उपायुक्त (उत्तर) द्वारा पत्रावली पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ रखने हेतु प्रस्तुत की गई है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व की शेष भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मथानिया सड़क से आवेदित भूमि के लिए पहुँच की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को आवेदित भूमि के लिये पहुँच मार्ग बाबत रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

13. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 66/2 की रकबा 3 बीघा भूमि का आवासीय ✓
प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती पारादेवी, श्रीमती राधादेवी, श्री ओमाराम
प्रकरण संख्या 1408/12

राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 66/2 की रकबा 3 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक 25.07.2012 में विचार विमर्श के दौरान उप सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के उत्तर व पूर्व दिशा में राजकीय भूमि अवस्थित है। सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान, खसरा मानचित्र से मेल नहीं खाता है तथा आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 66/2 की रकबा 12 बीघा भूमि में से 6 बीघा भूमि का ले-आऊट प्लान पूर्व में अनुमोदित करवाया गया है। अब आवेदक द्वारा इसी खसरे की शेष भूमि में से 3 बीघा भूमि के ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है। इसके पश्चात् भी आवेदक के पास इस खसरे की 3 बीघा भूमि शेष बचती है। प्रार्थी उक्त शेष भूमि किस प्रयोजन में उपयोग में लेगा, यह स्पष्ट नहीं है। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का तरमीम खसरा मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही आवेदित स्थल की न्यूनतम 200 मीटर की परिधि के भीतर के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्थल का सर्वेक्षण नक्शा/कुल स्टेशन सर्वेक्षण भी अपेक्षित था।

उपायुक्त (उत्तर) द्वारा पत्रावली पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ रखने हेतु प्रस्तुत की गई है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व की शेष भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

14. राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नम्बर 93/1, 93/2 व 93/3 की रकबा 8.00 बीघा ✓
भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री पन्नालाल, श्री नन्दकिशोर, श्रीमती शालू
प्रकरण संख्या 1292/12

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नम्बर 93/1, 93/2 व 93/3 की रकबा 8.00 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों का ले-आऊट प्लान पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक व सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि का आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

15. राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा 78/4 व 78/5 की रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा भूमि ✓
का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- शालू सीमा
प्रकरण संख्या :- 11/12

राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा 78/4 व 78/5 की रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। आवेदित भूमि करवड़ से बासनी लाछा जाने वाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व

वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर करवड़ से बासनी लाछा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि के दक्षिणी भाग में प्रस्तावित 30' चौड़ी सड़क को 60' चौड़ा किये जाने हेतु समीपीय भूमि के ले-आऊट प्लान स्वीकृत करते समय 30' चौड़ी भूमि समीपीय भूमि में से छोड़ी जानी होगी। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र के उत्तरी-पश्चिमी भाग में अन्य सामुदायिक सुविधा हेतु प्रस्तावित स्थल को योजना मानचित्र के दक्षिणी-पूर्वी भाग में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के सहारे स्थान्तरित किया जावे। आवेदित भूमि के दक्षिणी-पूर्वी भाग से होकर एक विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही हैं, जिसे योजना मानचित्र में दर्शाया जावे। उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन के दोनो तरफ राजस्थान भवन विनियम-2010 (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिए) या इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी, जो भी अधिक हो के अनुसार खड़ी दूरी एवं क्षेतिज दूरी छोड़ी जानी होगी एवं विद्युत हाईटेंशन लाईन के दोनो तरफ नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़ते हुए ही निर्माण अनुज्ञेय होगा। इसके साथ-साथ विद्युत लाईन के सहारे-सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

16. राजस्व ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा नम्बर 1804 की गार्ड पत्रावली। ✕

प्रकरण में जिला स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक, दिनांक 06.06.2007 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1804 की रकबा 1237 वर्गगज भूमि का सड़क का मार्गाधिकार सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि छोड़े जाने की शर्त पर आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया एवं ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 08.08.08 में प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित कर प्रार्थी को उक्त सड़क के मध्य बिन्दु से 100' भूमि छोड़ते हुए लीज डीड जारी की गई है। जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80' प्रस्तावित किया गया है।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के स्थान पर अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु निवेदन करते हुए जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80' रखते हुए नवीन लीजडीड जारी करने का अनुरोध किया गया है।

Signature


वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर करवड़ से बासनी लाछा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि के दक्षिणी भाग में प्रस्तावित 30' चौड़ी सड़क को 60' चौड़ा किये जाने हेतु समीपीय भूमि के ले-आऊट प्लान स्वीकृत करते समय 30' चौड़ी भूमि समीपीय भूमि में से छोड़ी जानी होगी। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र के उत्तरी-पश्चिमी भाग में अन्य सामुदायिक सुविधा हेतु प्रस्तावित स्थल को योजना मानचित्र के दक्षिणी-पूर्वी भाग में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के सहारे स्थान्तरित किया जावे। आवेदित भूमि के दक्षिणी-पूर्वी भाग से होकर एक विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है, जिसे योजना मानचित्र में दर्शाया जावे। उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन के दोनो तरफ राजस्थान भवन विनियम-2010 (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिए) या इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी, जो भी अधिक हो के अनुसार खड़ी दूरी एवं क्षेतिज दूरी छोड़ी जानी होगी एवं विद्युत हाईटेंशन लाईन के दोनो तरफ नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़ते हुए ही निर्माण अनुज्ञेय होगा। इसके साथ-साथ विद्युत लाईन के सहारे-सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

16. राजस्व ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा नम्बर 1804 की गार्ड पत्रावली। ✕

प्रकरण में जिला स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक, दिनांक 06.06.2007 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1804 की रकबा 1237 वर्गगज भूमि का सड़क का मार्गाधिकार सड़क की मध्य रेखा से 100' भूमि छोड़े जाने की शर्त पर आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया एवं ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 08.08.08 में प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित कर प्रार्थी को उक्त सड़क के मध्य बिन्दु से 100' भूमि छोड़ते हुए लीज डीड जारी की गई है। जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80' प्रस्तावित किया गया है।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के स्थान पर अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु निवेदन करते हुए जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80' रखते हुए नवीन लीजडीड जारी करने का अनुरोध किया गया है।



उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि ले-आऊट प्लान अनुमोदित होने के पश्चात् उसमें सुविधा क्षेत्रों एवं सड़क हेतु छोड़ी गई भूमि स्थानीय निकाय में निहित हो जाती हैं, अतः सड़क की भूमि पर प्रार्थी का स्वामित्व नहीं होकर प्राधिकरण का स्वामित्व है।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को उक्त प्रकरण समस्त तथ्यों सहित राज्य सरकार से उचित मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

17. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 319/4 की रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री सोहनलाल

प्रकरण संख्या :- 76/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 319/4 की रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिसके दक्षिणी भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ 80' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। आवेदित भूमि की समीपस्थ शान्तिप्रिय नगर आवासीय कोलोनी का योजना मानचित्र पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावित 80' चौड़ी सड़क से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर ग्रुप हाऊसिंग प्रस्तावित किया गया है, जिस हेतु एकल भूखण्ड के रूप में भूमि रखी जानी है। आवेदित भूमि के साईट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 80' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का (ग्रुप हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ साईट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप में हैं, अतः राजस्थान भवन विनियम (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिए) के प्रावधानानुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम अग्र सैटबैक 15 मीटर, पार्श्व-I 9 मीटर, पार्श्व-II 9 मीटर व पीछे 9 मीटर छोड़े जाने होंगे। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

18. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 319/7 की रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री कुम्भाराम पुत्र श्री खेताराम।
प्रकरण संख्या :- 10/2010

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 319/4 की रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिसके उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ 80' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। आवेदित भूमि की समीपस्थ शान्तिप्रिय नगर आवासीय कोलोनी का योजना मानचित्र पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावित 80' चौड़ी सड़क से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर गुप हाऊसिंग प्रस्तावित किया गया है, जिस हेतु एकल भूखण्ड के रूप में भूमि रखी जानी है। आवेदित भूमि के साईट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 80' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का (गुप हाऊसिंग) प्रयोजनार्थ साईट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप में हैं, अतः राजस्थान भवन विनियम (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरो एवं भिवाड़ी के लिए) के प्रावधानानुसार उक्त भूखण्ड पर न्यूनतम अग्र सैटबैक 15 मीटर, पार्श्व-1 9 मीटर, पार्श्व-2 9 मीटर व पीछे 9 मीटर छोड़े जाने होंगे। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त की जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

19. राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 183, 186/1, 183/2 व 186/3 की रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री रतनाराम, श्री जीवाराम व श्री रमेश कुमार
प्रकरण संख्या :- 19/2011

राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 183, 186/1, 183/2 व 186/3 की रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 104, दिनांक 27.05.2010 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित

जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है, जिसमें संशोधन करते हुए ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिये भूखण्डों का आरक्षण किया गया है, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार उक्त क्षेत्र के रोड़ नेटवर्क में दर्शित सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने, उत्तर दिशा में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु आवेदित भूमि में से सड़क की मध्य रेखा से 30' भूमि करने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। योजना क्षेत्र के दक्षिणी भाग से होकर एक विद्युत लाईन गुजर रही है, जिसके नीचे 80' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है, ताकि हाईटेन्शन लाईन के दोनों ओर पर्याप्त दूरी रह सके। इसके साथ-साथ इस प्रस्तावित सड़क के सहारे-सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो। उक्त योजना मानचित्र में क्लब हाऊस एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 30' प्रस्तावित किया गया है, जो उचित नहीं है, अतः ले-आऊट प्लान जारी करने से पूर्व उक्त सड़क का मार्गाधिकार 40' किये जाने हेतु आवश्यक संशोधन ले-आऊट प्लान में किये जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

20. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 23 व 23/2 की रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि का ✓
आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमति उर्मिला, श्री रामेश्वर वगैराह
प्रकरण संख्या :- 59/2011

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की गत बैठक दिनांक 25.07.2012 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें समिति द्वारा विचार-विमर्श कर प्रार्थी से राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा अंकित शर्तों के परिप्रेक्ष्य में समीपीय भूमि की योजना में प्रावधानित सड़को का आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान में प्रावधानित सड़को से लिंक तथा सुविधा क्षेत्रों को न्यूनतम 40' चौड़ी सड़क पर प्रावधानित करते हुए योजना मानचित्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तरी भाग से गुजर रहे राजस्व रास्ते का सही एलाईनमेन्ट दर्शाने हेतु सम्बन्धित अमीन को

21

निर्देशित किया गया। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा पत्रावली पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ रखने हेतु प्रस्तुत की गई है।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 23 व 23/2 की रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर्यटन एवं होटल प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित रही हैं, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक, दिनांक 22.02.2012 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। आवेदित भूमि के उत्तरी भाग के सहारे-सहारे एक राजस्व रास्ता गुजरता है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार-विमर्श के दौरान ले-आऊट प्लान के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि योजना मानचित्र के उत्तरी एवं उत्तरी-पूर्वी भाग में दो स्थल पर छोटे-छोटे पार्क प्रस्तावित किये गये हैं तथा उत्तरी-पश्चिमी भाग में अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर उक्त पार्क एवं सामुदायिक सुविधाओ प्रयोजनार्थ आरक्षित स्थलो के स्थान पर योजना मानचित्र के मध्य में 60' चौड़ी सड़क के सहारे-सहारे पार्क एवं अन्य सामुदायिक सुविधा प्रयोजनार्थ स्थल आरक्षित करने हेतु मानचित्र में आवश्यक संशोधन करते हुए ले-आऊट प्लान जारी करने का निर्णय लिया गया। योजना मानचित्र के पूर्वी भाग में प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी सड़क को 40 फीट चौड़ा करते हुए दक्षिण दिशा में स्थित समीपीय भूमि के स्वीकृत ले-आऊट प्लान से मिलान किया जाना होगा। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 775/73 की गार्ड पत्रावली। ✓

उक्त आराजियात की भूमि का योजना मानचित्र ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.10.2003 में रखा जाकर अनुमोदित किया गया था। उक्त अनुमोदित ले-आऊट प्लान पर तत्कालीन उप नगर नियोजक के हस्ताक्षर हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का है। योजना मानचित्र के दक्षिणी-पूर्वी भाग में प्रस्तावित 60' चौड़ी सड़क का मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि छोड़े जाने पर भूखण्ड संख्या 2 से 7 तक 40' × 70' के स्थान पर 40' × 60' के रह जाते हैं, इस हेतु योजना मानचित्र में आवश्यक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का होने एवं आवासीय क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से कम होने के परिप्रेक्ष्य में आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

22. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 253/2, 253/3 की रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- मधुकर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
प्रकरण संख्या 80/10

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 253/2, 253/3 की रकबा 5 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आवेदित भूमि को मात्र 30' चौड़ी सड़क से एप्रोच उपलब्ध होती है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र, दिनांक 25.02.2009 के अनुसार उक्त आकार की भूमि के लिये न्यूनतम 40' चौड़ी एप्रोच सड़क की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को आवेदित भूमि के लिये पहुँच मार्ग बाबत् रिपोर्ट ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

23. राजस्व ग्राम सूथंला के खसरा नम्बर 92 व 92/2 की गार्ड पत्रावली।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 18.07.2012 में विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा उक्त बैठक में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशो को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा अनुमोदित ले-आऊट प्लान के अनुसार ही आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगणों के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु निवेदन करने पर आयुक्त के निर्देशानुसार प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर एवं प्रार्थी को सुना जाकर उक्त प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यो के साथ राज्य सरकार को उचित मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। प्रार्थी को उक्त निर्णय बाबत् सूचित कर दिया जावे।


24. राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 73, 174/73 व 299/73 की गार्ड पत्रावली।


उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 18.07.2012 में विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा उक्त बैठक में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा अनुमोदित ले-आऊट प्लान के अनुसार ही आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगणो के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु निवेदन करने पर आयुक्त के निर्देशानुसार प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर एवं प्रार्थी को सुना जाकर उक्त प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यो के साथ राज्य सरकार को उचित मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। प्रार्थी को उक्त निर्णय बाबत् सूचित कर दिया जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


निदेशक (आयोजना)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।


आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।